



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 23 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट वीडिआई कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 23 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट वीडिआई कार न0 HR26 CF 1587 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुचियन्त पुत्र कृष्णपाल निवासी मौ0 सुभाषनगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-सागर चौधरी पुत्र सतेन्द्र चौधरी निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 12 बोतल रेड लेवल ब्लैन्डेड अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।
- 11 बोतल बुडवाइजर बीयर अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।

- तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट वीडिआई कार न0 HR26 CF 1587

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री अमर सिंह बौनाल आबकारी निरीक्षक जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 सिपाही रविन्द कुमार आबकारी विभाग ।
- 4-का0 वैभव कुमार आबकारी विभाग ।
- 5-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06/03/2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 212/23 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक लाठी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06/03/2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.खराती पुत्र अतरे, 2.सुखपाल पुत्र गजराज, 3.ओमी पुत्र हरलाल व 4.ओमवीर पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत ने वादिया के पति ओमकुमार उम्र करीब 48 वर्ष



की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 212/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 212/23 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित नामजद 01 अभियुक्त खराती को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक लाठी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खराती पुत्र अतरे निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम सभी दोस्त थे। अक्सर हम सभी मेरे घर पर बैठ कर शराब पीते थे दिनांक 05-03-2023 की रात्रि को भी हम सभी एक जगह बैठ कर शराब पी रहे थे, उसी समय ओमकुमार ने मेरे परिवार के लिए आपत्ति जनक बातें कही जिससे मैंने और मेरे साथियों 1.सुखपाल उर्फ सुक्कन, 2. ओमी व 3. ओमवीर ने उसको रोका लेकिन वह नहीं रुका, लगातार आपत्ति जनक बातें बोलता रहा, जिससे हमें गुर्रसा आ गया और हम सब ने मिलकर ओमकुमार के साथ लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0- 328/22 धारा 393 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0- 212/23 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है0का0 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 4-का0 25 राजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक -06.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 204/22 धारा
147/148/323/324/504/506/307 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 02
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.03.2022 को होली के त्यौहार पर ग्राम बावली में दो पक्षों के मध्य मारपीट होने पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 204/22 धारा 147/148/323/324/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 204/22 धारा 147/148/323/324/504/506/307 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत द्वारा 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बाबूराम पुत्र सीताराम निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-अनुज पुत्र ईश्वर निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सत्यंम जंघाला थाना बडौत ।
- 2-है०का० 239 विपिन कुमार थाना बडौत ।
- 3-है०का० 59 विजयपाल सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 06.03.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पैकेट अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पैकेट अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनय पुत्र ईश्वर निवासी सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पैकेट अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार ।

2-का0 853 राशिद खां ।

3.का0 938 जसवन्त ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 06.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक



जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुसीर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मुसीर का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 228/2021 धारा 452/376/511/354/323/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 56/23 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-है0का0 270 अमर राणा थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 06-03-2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 1.25 किलोग्राम गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देवेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 1.25 किलोग्राम गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 1045 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 06.03.2023 को डायल-112 पर कान्ती (वाहन स्वामी कैंटर नं० UP-14FT-8004) द्वारा सूचना दी गयी कि उसके गाडी चालक पवन पुत्र बुद्धू निवासी फरीदपुर गोसाई थाना सिम्भावली जनपद हापुड से कैडवा मोड थाना सिंघावली अहीर पर नगदी व मोबाइल लूट लिया है । सूचना पर तत्काल PRV 2963 व थाना सिंघावली अहीर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा उपस्थित लोगों ने पूछताछ पर बताया कि वाहन चालक नशे में था,



जो फोन से बात कर लूट की सूचना दे रहा था । पुलिस द्वारा चालक से पूछताछ कि गई तो उसने बताया कि मेरे साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है, मैंने अपने गाडी मालिक को लूट की सूचना शराब के नशे मे दी थी ।

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा लूट कि झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया तथा तलाशी करने पर उसके कब्जे से उसका एक मोबाइल फोन व 5200 रुपये नगद बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण -

5200/- रू0 नगद ।

एक मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पवन पुत्र बुद्धू निवासी फरीदपुर गोसाईं थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र सिंह सिद्धू थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

2-उ0नि0 श्री आनन्द शर्मा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

3- का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर बागपत ।